रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जून 28—जुलाई 4, 2009, शनिवार/आषाढ़ 7—आषाढ़ 13, 1931
No. 24] NEW DELHI, JUNE 28—JULY 4, 2009, SATURDAY/ASADHA 7—ASADHA 13, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जून, 2009

सा.का.नि. 93.—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियमावली, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची-III के भाग III में विद्यमान फार्म त-5 के स्थान पर निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"फार्म त-5

पहचान प्रमाणपत्र का फार्म

(ऊपरी कवर)

पहचान प्रमाणपत्र

प्रतीक-चिह्न

भारत गणराज्य

ऊपरी कवर के अंदर

भारत गणराज्य

प्रकार	देश कोड	पहचान प्रमाणपत्र सं.
त	आईएनडी	

उपनाम

फोटो

दिया गया/दिए गए नाम

मूल स्थान	लिंग	जन्म तिथि
जन्म स्थान		

() जारी करने का स्थान

() जारी करने की तारीख समाप्त होने की तारीख

पृष्ठ 1

पहचान प्रमाणपत्र

प्रतीक-चिह्न

यह प्रमाणपत्र केवल धारक को एक राष्ट्रीय पासपोर्ट के स्थान पर पहचान दस्तावेज प्रदान करने के प्रयोजन से जारी किया गया है। इससे धारक के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा। यदि धारक कोई अन्य यात्रा दस्तावेज प्राप्त करता है तो यह प्रमाणपत्र वैध नहीं रहेगा और तब निकटतम भारतीय पासपोर्ट जारीकर्त्ता प्राधिकारी को अनिवार्यः सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए ।

यह प्रमाणपत्र सभी देशों की यात्रा के लिए वैध है।

जारीकर्त्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

पृष्ठ 2

इस पहचान प्रमाणपत्र में 36 पृष्ठ हैं

पृष्ठ 3 से 34

वीजा

(पृष्ठ 35)

प्रकीर्ण सेवाएं

.....

.....

.....

.....

टिप्पणियां

.....

.....

.....

.....

(पृष्ठ 36)

सावधानी

यह पहचान प्रमाणपत्र भारत सरकार की संपत्ति है। धारक द्वारा पासपोर्ट प्राधिकारी की ओर से इस पहचान प्रमाणपत्र के संबंध में जिसमें इसे अभ्यर्पित किए जाने की मांग भी शामिल है कोई पत्र मिलने पर उसका तत्काल अनुपालन किया जाए।

इस पहचान प्रमाणपत्र को डाक द्वारा किसी देश से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। इसे दोनों में से या तो धारक द्वारा या धारक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। इसे किसी तरह बदला या क्षत-विक्षत न किया जाए।

इस पहचान प्रमाणपत्र के गुम होने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना भारत स्थित निकटतम पासपोर्ट प्राधिकारी को तत्काल दी जाए या यदि इसका धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केंद्र को और स्थानीय पुलिस को दी जाए। डुप्लीकेट पह प्रमाणपत्र केवल विस्तृत जांच के बाद ही जारी किया जाएगा।

(पिछले कवर के अंदर)

पिता/विधिक अभिभावक का नाम

माता का नाम

पति/पत्नी का नाम

पता

.....

.....

.....

पिछले पहचान प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख और जारी करने स्थान

.....

फाइल सं."

.....

[फा. सं.-VIII/405/17/20

ए. माणिकम, संयुक्त स

टिप्पणी : प्रधान नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 691 (दिनांक 11 दिसंबर, 1980 के तहत् प्रकाशित किए गए थे तथा इ तहत बाद में संशोधन हुए :—

(i) सा.का.नि. 50 (अ), दिनांक 7-2-1981

(ii) सा.का.नि. 494 (अ), दिनांक 10-6-1981

(iii) सा.का.नि. 469 (अ), दिनांक 24-6-1982

(iv) सा.का.नि. 325 (अ), दिनांक 12-4-1983

(v) सा.का.नि. 482 (अ), दिनांक 13-6-1983

(vi) सा.का.नि. 494 (अ), दिनांक 16-6-1983

(vii) सा.का.नि. 345 (अ), दिनांक 29-3-1985

(viii) सा.का.नि. 860 (अ), दिनांक 8-11-1985

(ix) सा.का.नि. 857 (अ), दिनांक 13-10-1987

(x) सा.का.नि. 84 (अ), दिनांक 11-2-1988

(xi) सा.का.नि. 1155 (अ), दिनांक 21-11-1988

(xii) सा.का.नि. 622 (अ), दिनांक 27-6-1990

(xiii) सा.का.नि. 653 (अ), दिनांक 20-7-1990

(xiv) सा.का.नि. 100 (अ), दिनांक 4-3-1991

(xv) सा.का.नि. 275 (अ), दिनांक 20-3-1991

(xvi) सा.का.नि. 586 (अ), दिनांक 21-6-1991

(xvii) सा.का.नि. 111 (अ), दिनांक 22-1-1992

IndiaCode

(xviii) सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 15-6-1992

(xix) सा.का.नि. 721 (अ), दिनांक 7-8-1992

(xx) सा.का.नि. 477 (अ), दिनांक 16-6-1993

(xxi) सा.का.नि. 485 (अ), दिनांक 1-7-1993

(xxii) सा.का.नि. 503 (अ), दिनांक 10-7-1993

(xxiii) सा.का.नि. 833 (अ), दिनांक 2-12-1994

(xxiv) सा.का.नि. 592 (अ), दिनांक 7-8-1995

(xxv) सा.का.नि. 491 (अ), दिनांक 28-8-1997

(xxvi) सा.का.नि. 605 (अ), दिनांक 5-10-1998

(xxvii) सा.का.नि. 516 (अ), दिनांक 8-7-1999

(xxviii) सा.का.नि. 827 (अ), दिनांक 29-12-1999

(xxix) सा.का.नि. 34 (अ), दिनांक 12-1-2000

(xxx) सा.का.नि. 472 (अ), दिनांक 22-5-2000

(xxxi) सा.का.नि. 473 (अ), दिनांक 22-5-2000

(xxxii) सा.का.नि. 485 (अ), दिनांक 23-5-2000

(xxxiii) सा.का.नि. 529 (अ), दिनांक 8-6-2000

(xxxiv) सा.का.नि. 584 (अ), दिनांक 4-7-2000

(xxxv) सा.का.नि. 632 (अ), दिनांक 25-7-2000

(xxxvi) सा.का.नि. 482 (अ), दिनांक 28-6-2001

(xxxvii) सा.का.नि. 527 (अ), दिनांक 13-7-2001

(xxxviii) सा.का.नि. 576 (अ), दिनांक 28-2-2001

(xxxix) सा.का.नि. 817 (अ), दिनांक 2-11-2001

(xl) सा.का.नि. 879(अ), दिनांक 5-12-2001

(xli) सा.का.नि. 235(अ), दिनांक 28-3-2002

(xlii) सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 29-5-2002

(xliii) सा.का.नि. 429(अ), दिनांक 23-5-2003

(xliv) सा.का.नि. 399(अ), दिनांक 5-5-2005

(xlv) सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27-10-2006

(xlvi) सा.का.नि. 603(अ), दिनांक 29-5-2007

(xlvii) सा.का.नि. 242(अ), दिनांक 29-5-2007

(xlviii) सा.का.नि. 526(अ), दिनांक 2-8-2007

(xlix) सा.का.नि. 43(अ), दिनांक 22-1-2008

(l) सा.का.नि. 103(अ), दिनांक 22-2-2008

(li) सा.का.नि. 850(अ), दिनांक 11-12-2008

(lii) सा.का.नि. 390(अ), दिनांक 4-6-2009

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th June, 2009

G.S.R. 93.—In exercise of the powers conferred by section 24, read with Section 5 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Second Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passports Rules, 1980, in part III of Schedule III, for the existing Form P-5, the following Form shall be substituted namely :—

"Form P-5

Form of Identity Certificate

(Front Cover)

Identity Certificate

Emblem

Republic of India

(Inside front Cover)

Republic of India

Type Country Code ID Certificate No.

P IND

Surname

Photo

Given Name(s)

Place of Origin Sex Date of Birth

Place of Birth

[] Place of Issue

[] Date of Issue Date of Expiry

Page-1

Identity Certificate

Emblem

This Certificate is issued for the Sole Purpose of Providing the holder with identity papers in lieu of a National Passport it is without Prejudice to and in no way affects the National status of the Holder, if the holder obtains any other Travel document, this certificate ceases to be valid and must be surrendered to the Nearest Indian Passport issuing Authority.

IndiaCode

This Certificate is valid for travel to all countries

Signature and stamp of issuing authority

(Page-2)

This Identity Certificate contains 36 pages.

(Pages 3 to 34)

VISAS

(Page-35)

Miscellaneous service

Observation

(Page-36)

Caution

This identity Certificate is the Property of the Government of India, Any Communication Received by the Holder from a Passport Authority regarding this identity certificate including demand for its surrender, should be complied with immediately.

This identity certificate should not be sent out of any country by post. This should be in the custody either of the holder or of a person authorized by the holder. It must not be altered or mutilated in any way.

Loss, Theft or Destruction of his identity certificate should be immediately reported to the nearest passport authority in India or if the holder is abroad, to the nearest Indian Mission/post and to the local police only after exhaustive enquiries shall a Duplicate Identity certficate be issued.

(Inside back cover)

Name of Father/Legal Guardian

Name of Mother

Name of Spouse

Address

Old ID. Cert. No. with Date and Place of Issue

File No. "

[F. No. VIII/405/17/2007]

A. MANICKAM, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazet of India vide number G.S.R. 691(E), dated the 11 December, 1980, and subsequently amended vide :—

(i) G.S.R. 50 (E), dated 7-2-1981
(ii) G.S.R. 494 (E), dated 10-6-1981
(iii) G.S.R. 469 (E), dated 24-6-1982
(iv) G.S.R. 325 (E), dated 12-4-1983
(v) G.S.R. 482 (E), dated 13-6-1983
(vi) G.S.R. 494 (E), dated 16-6-1983
(vii) G.S.R. 345 (E), dated 29-3-1985
(viii) G.S.R. 860 (E), dated 8-11-1985
(ix) G.S.R. 857 (E), dated 13-10-1987
(x) G.S.R. 84 (E), dated 11-2-1988
(xi) G.S.R. 1155 (E), dated 21-11-1988
(xii) G.S.R. 622 (E), dated 27-6-1990
(xiii) G.S.R. 653 (E), dated 20-7-1990
(xiv) G.S.R. 100 (E), dated 4-3-1991
(xv) G.S.R. 275 (E), dated 20-3-1991
(xvi) G.S.R. 586 (E), dated 21-6-1991
(xvii) G.S.R. 111 (E), dated 22-1-1992
(xviii) G.S.R. 684 (E), dated 15-6-1992
(xix) G.S.R. 721 (E), dated 7-8-1992
(xx) G.S.R. 477 (E), dated 16-6-1993
(xxi) G.S.R. 485 (E), dated 1-7-1993
(xxii) G.S.R. 503 (E), dated 10-7-1993
(xxiii) G.S.R. 833 (E), dated 2-12-1994
(xxiv) G.S.R. 592 (E), dated 7-8-1995
(xxv) G.S.R. 491 (E), dated 28-8-1997
(xxvi) G.S.R. 605 (E), dated 5-10-1998
(xxvii) G.S.R. 516 (E), dated 8-7-1999
(xxviii) G.S.R. 827 (E), dated 29-12-1999
(xxix) G.S.R. 34 (E), dated 12-1-2000
(xxx) G.S.R. 472 (E), dated 22-5-2000
(xxxi) G.S.R. 473 (E), dated 22-5-2000
(xxxii) G.S.R. 485 (E), dated 23-5-2000
(xxxiii) G.S.R. 529 (E), dated 8-6-2000
(xxxiv) G.S.R. 584 (E), dated 4-7-2000
(xxxv) G.S.R. 632 (E), dated 25-7-2000
(xxxvi) G.S.R. 482 (E), dated 28-6-2001
(xxxvii) G.S.R. 527 (E), dated 13-7-2001
(xxxviii) G.S.R. 576 (E), dated 28-8-2001
(xxxix) G.S.R. 817 (E), dated 2-11-2001
(xl) G.S.R. 879(E), dated 5-12-2001
(xli) G.S.R. 235(E), dated 28-3-2002
(xlii) G.S.R. 417(E), dated 29-5-2002
(xliii) G.S.R. 429(E), dated 23-5-2003
(xliv) G.S.R. 399(E), dated 5-5-2005
(xlv) G.S.R. 674(E), dated 27-10-2006
(xlvi) G.S.R. 603(E), dated 23-12-2006
(xlvii) G.S.R. 242(E), dated 29-5-2007
(xlviii) G.S.R. 526(E), dated 2-8-2007
(xlix) G.S.R. 43(E), dated 22-1-2008
(l) G.S.R. 103(E), dated 22-2-2008
(li) G.S.R. 850(E), dated 11-12-2008
(lii) G.S.R. 390(E), dated 4-6-2009

IndiaCode